

समाहरणालय, मधेपुरा
(जिला गोपनीय शाखा)

मो० सोहैल, भा०प्र०से०, जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा दिनांक ०६-०२-२०१७ को विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ की गयी सोमवारीय (Monday Meeting) बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :- पंजी के अनुसार।

(२) अनुपस्थित पदाधिकारी

समीक्षा के क्रम में निम्नांकित पदाधिकारी बैठक से अनुपस्थित पाये गये :-

क्र०	संबंधित पदाधिकारी	अभ्युक्ति
१.	अपर समाहर्ता, मधेपुरा	विभागीय बैठक में भाग लेने पटना गये।
२.	उप विकास आयुक्त, मधेपुरा	अवकाश में।
३.	जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा	अवकाश में।
४.	जिला कल्याण पदाधिकारी, मधेपुरा	बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित।
५.	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, साक्षरता, मधेपुरा	बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित।
६.	अवर निर्वाचन पदाधिकारी, मधेपुरा	अवकाश में।
७.	औषधि निरीक्षक, उदाकिशुनगंज	बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित।
८.	श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, कार्यपालक दण्डाधिकारी, उदाकिशुनगंज	बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित।
९.	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, शंकरपुर	अवकाश में।
१०.	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गम्हरिया	अवकाश में।
११.	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कुमारखंड	न्यायालय कार्य हेतु पटना गये।
१२.	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, ग्वालपाड़ा	अवकाश में।
१३.	अंचलाधिकारी, चौसा	राज्य सूचना आयोग में उपस्थिति।
१४.	श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज	अवकाश में।

प्रभारी पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण पूछा जाए।

(अनुपालन-प्रभारी पदा०, जिला गोपनीय शाखा)

कार्यवाही :-

सर्वप्रथम जिलाधिकारी द्वारा उपस्थित सभी पदाधिकारियों का बैठक में स्वागत किया गया। तदोपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

(३) लोक शिकायत निवारण :-

लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज द्वारा बताया गया कि बिहारीगंज प्रखण्ड विकास पदाधिकारी-४० मामलें है, जो आधार कार्ड सिलिंग से संबंधित है। यह भी बताया गया कि विद्युत कार्यालय में १२ मामलें बिद्युत बिल से संबंधित है। कार्यपालक अभियंता, विद्युत, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि सॉफ्टवेयर में तकनीकी समस्या के कारण कठिनाई हो रही है। शीघ्र

ही निष्पादन करा दिया जाएगा। समीक्षा के क्रम में बताया गया कि बराबर विद्युत लाईन काट दिया जा रहा है। निदेश दिया गया कि नियमित रूप से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किया जाए।

यह भी बताया गया कि बैंक से संबंधित 03 मामलें लंबित है। श्री संतोष झा, प्रभारी एल0डी0एम0, मधेपुरा से अनुरोध किया गया कि अविलम्ब इसका निराकरण करावें। एल0डी0एम0 द्वारा बताया गया कि चौसा एवं आलमनगर के शाखा प्रबंधकों को बुलाया गया है तथा इस संबंध में कार्रवाई की जा रही है।

समीक्षा के क्रम में अंचलाधिकारी, आलमनगर से पृच्छा की गयी कि आपदा की राशि संबंधित लाभुकों को नियमानुसार भुगतान किया गया है अथवा नहीं, तो उनके द्वारा बताया गया कि संबंधित खाता की विवरणी नहीं निकाला गया है, जिसके कारण स्पष्ट जानकारी नहीं हो सकी है। निदेश दिया गया कि संबंधित खाता की विवरणी प्राप्त करें एवं शीघ्र ही संबंधित लाभुक को नियमानुसार लाभ दिलाया जाए। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि माह-नवम्बर, 2016 में ही आपदा मद की राशि संबंधित लाभुकों को भेजने हेतु निदेशित किया गया था, परन्तु तीन माह बीत जाने के बावजूद भी इस संबंध में अग्रतर कार्रवाई नहीं किया गया, जो खेद का विषय है।

अनुमण्डलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि मुरलीगंज अंचल में 03 मामलें लंबित है। निदेश दिया गया कि समीक्षा कर निराकरण करें। समीक्षा के क्रम में अंचलाधिकारी, चौसा एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कुमारखण्ड की खोज की गयी, तो पता चला कि वे माननीय उच्च न्यायालय में एवं राज्य सूचना आयोग में उपस्थित होने हेतु पटना गये हैं।

समीक्षा के क्रम में बताया गया कि जिला /अनुमण्डल /प्रखण्ड /अंचल स्तरीय कुछ पदाधिकारी बैठक से किसी न किसी प्रकार का बहाना बनाकर प्रायः अनुपस्थित हो जाते हैं, फलस्वरूप संबंधित विभाग /प्रखण्ड /अंचल के कार्यों की समीक्षा में बाधा उत्पन्न होती है।

अतएव सभी पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि प्रत्येक सोमवारीय बैठक में ससमय अचूक रूप से भाग लेना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी पदाधिकारी की व्यक्तिगत उपस्थिति माननीय न्यायालय, लोकायुक्त, राज्य सूचना आयोग में होती है या राज्य स्तर पर बैठक में भाग लेना हो, तो वे मुख्यालय से अनुमति प्राप्त कर ही अनुपस्थित रहेंगे।

अंचलाधिकारी, मुरलीगंज से पृच्छा की गयी कि आपदा की राशि का संबंधित लाभुकों को नियमानुसार भुगतान किया गया है अथवा नहीं, तो इस संबंध में स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा सकी। निदेश दिया गया कि बैंक का स्टेटमेन्ट निकालें तथा वस्तुस्थिति से अवगत करावें।

(4) कृषि इनपुट सब्सिडी :-

जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि 67 लाख का वितरण नियमानुसार किया गया है। जिलाधिकारी द्वारा पृच्छा की गयी कि संबंधित लाभुक के खाता में नियमानुसार राशि हस्तांतरित की गयी है अथवा नहीं, तो इस संबंध में स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा सकी। निदेश दिया गया कि संबंधित खाता का स्टेटमेन्ट का प्रिंट आउट निकाला जाए एवं उसकी जांच की जाए।

(5) विस्थापितों को पुनर्वास :-

समीक्षा के क्रम में अंचलाधिकारी, आलमनगर से पृच्छा की गयी कि विस्थापित परिवारों को नियमानुसार बसाने हेतु सरकारी जमीन की खोज कर अग्रतर कार्रवाई करने का निदेश विगत पूर्व की बैठक में दिया गया था, के आलोक में क्या कार्रवाई की गयी है, तो अंचलाधिकारी,

आलमनगर द्वारा बताया गया कि प्रस्ताव नहीं बना है, संबंधित जमीन के मालिक से वार्ता की गयी है। निदेश दिया गया कि अविलम्ब नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

इसी प्रकार चौसा क्षेत्रान्तर्गत उक्त कार्यों के त्वरित निष्पादन हेतु अनुमण्डल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज से अनुरोध किया गया कि अविलम्ब अग्रतर कार्रवाई अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिस-जिस लाभुकों को आपदा के समय 6000 रु० की राशि नियमानुसार भुगतान की गयी है, उन्हें ही लाभान्वित किया जा सकता है।

(6) स्थापना :-

समीक्षा के क्रम में बताया गया कि राजस्व कर्मचारी की कमी के कारण कार्यों के ससमय निष्पादन में कठिनाई उत्पन्न होती है। जिला स्थापना उप समाहर्ता, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि राजस्व कर्मचारी के संविदा पर बहाली हेतु अविलम्ब प्रस्ताव संचिका के माध्यम से उपस्थापित की जाए।

(7) स्वच्छ भारत मिशन :-

समीक्षा के क्रम में बताया गया कि आलमनगर के खुरहान-1, राजगंज-1, बिहारीगंज के कुश्थन-01, गम्हरिया के बभनी-02, मधेपुरा के बालम गढ़िया-04, सुखासन-06 वार्ड ओ0डी0एफ0 घोषित हो चुका है। बताया गया कि 298 में से 17 वार्ड ओ0डी0एफ0 घोषित हो चुका है। यह भी बताया गया कि गम्हरिया, ग्वालपाड़ा एवं आलमनगर में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप वार्ड ओ0डी0एफ0 घोषित हो गया है तथा सुखासन में एक राजस्व ग्राम दिनांक 15-02-2017 को ओ0डी0एफ0 घोषित हो जाएगा। निदेश दिया गया कि अविलम्ब सुखासन में एक राजस्व ग्राम को ओ0डी0एफ0 घोषित कराने की दिशा में अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित करें। यह भी बताया गया कि मुरलीगंज के रघुनाथपुर में काम चल रहा है।

जिला समन्वयक, स्वच्छ भारत मिशन को निदेश दिया गया कि प्रखण्डवार लक्ष्य निर्धारित करने हेतु आदेश पत्र निर्गत करें, जिसमें संबंधित प्रखण्ड के सभी जीविका, शिक्षक, आंगनवाड़ी सेविका /सहायिका, आशा, ममता कार्यकर्ता, विकास मित्र, न्याय सचिव, टोला सेवक, तालिमी मरकज, एम0डी0एम0 के रसोईया को कार्य में आवश्यक सहयोग हेतु निदेशित करें। सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि अपने स्तर से उक्त कार्यों का अनुश्रवण /पर्यवेक्षण लगातार सुनिश्चित करें।

(8) पंचायती राज :-

समीक्षा के क्रम में बताया गया कि साहुगढ़ पंचायत में आग लगने की घटना प्रकाश में आयी थी, जिसके आलोक में जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा को जांच-पड़ताल कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

(9) जीविका :-

समीक्षा के क्रम में बताया गया कि दिनांक 31-03-2017 तक 17500 एस0एच0जी0 का लक्ष्य निर्धारित है, जिसके विरुद्ध लगभग 17000 एस0एच0जी0 हो चुका है। बताया गया कि 13000 लिंकेज हो गया है, जबकि 2000 शेष बचा हुआ है। जिलाधिकारी द्वारा पृच्छ की गयी कि जीविका दीदीयों द्वारा स्कूल की जांच की जा रही है अथवा नहीं, तो बताया

गया कि वर्तमान में जांच नहीं की जा रही है, जिस पर जिलाधिकारी द्वारा खेद प्रकट किया गया एवं निदेश दिया गया कि नियमित रूप से स्कूल की जांच करायी जाए। बैठक में उपस्थित जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, आलमनगर द्वारा बताया गया कि आलमनगर के जीविका समन्वयक द्वारा मानव श्रृंखला के आयोजन में कोई अभिरुचि नहीं ली गयी थी तथा वे प्रायः अनुपस्थित ही रहते हैं। डी०पी०एम०, जीविका को निदेश दिया गया कि उक्त कर्मियों को अपने स्तर से निदेशित करें अन्यथा उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

(10) शिक्षा :-

जिलाधिकारी द्वारा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न -सह- प्रभारी जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा से पृच्छा की गयी कि छात्रवृत्ति वितरण की क्या स्थिति है, तो उनके द्वारा बताया गया कि विभागीय निदेश के आलोक में पत्र एवं संबंधित प्रपत्र विभिन्न विद्यालयों के बी०आर०पी०, सी०आर०सी० एवं प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी को उपलब्ध करा दिया गया है, तत्पश्चात् जांच प्रतिवेदन प्राप्त होते ही नियमानुसार वितरण की जाएगी। निदेश दिया गया कि अविलम्ब जांच करायी जाए तथा नियमानुसार वितरण करावें।

जिला शिक्षा पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि दिनांक 18-11-2016 को विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा किए गए औचक निरीक्षण के क्रम में अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित शिक्षक की सं० 280 के विरुद्ध उक्त तिथि का वेतन काटने तथा बंद विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों से स्पष्टीकरण पूछते हुए निलम्बन की कार्रवाई करने हेतु कृत कार्रवाई से एक सप्ताह के अंदर अवगत कराने का निदेश दिया गया था, किन्तु आज दिनांक 06-02-2017 तक अनुपालन अप्राप्त है, जो अत्यन्त ही खेद का विषय है। निदेश दिया गया कि उक्त के आलोक में क्या कार्रवाई की गयी है, का ए०टी०आर० तीन दिनों के अंदर समर्पित करें।

(11) धान अधिप्राप्ति :-

समीक्षा के क्रम में बताया गया कि लगभग 11,000 एम०टी० धान का अधिप्राप्ति किया गया है। बताया गया कि एप पर उक्त प्रतिवेदन प्रतिदिन अपडेट नहीं की जा रही है, जो खेद का विषय है। जिलाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया कि प्रतिदिन प्रखण्डवार एप पर धान खरीदारी का प्रतिवेदन अपडेट करावें। जिला प्रबंधक, एस०एफ०सी०, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि इसका नियमित अनुश्रवण करें एवं अनुपालन से अवगत करावें। समीक्षा के क्रम में विभिन्न प्रखण्ड सहकारिता पदाधिकारी से दूरभाष पर प्राप्त सूचना के आलोक में धान अधिप्राप्ति की प्रखण्डवार निम्नवत् स्थिति पायी गयी :-

क्र०	प्रखण्ड का नाम	धान अधिप्राप्ति हुआ या नहीं	हुआ है, तो कितना हुआ (क्वी० में)	एप पर अपडेट हुआ या नहीं	नहीं तो क्यों नहीं
1	आलमनगर	हाँ	10132	अपडेट हो रहा है।	-
2	मधेपुरा	हाँ	14000	अपडेट	-
3	सिंहेश्वर	हो रहा है।	23480	अपडेट हो रहा है।	-
4	गम्हरिया	हाँ	7580	अपडेट	-
5	घैलाढ़	हाँ	2500	डॉउनलोड हो रहा है। 6 का हुआ है।	-
6	शंकरपुर	हो रहा है।	4061.61	अपडेट हो रहा है। 215 पूर्ण	-

				हुआ है।	
7	कुमारखण्ड	हाँ	10000	डाउनलोड हो गया है। 1 पैक्स को छोड़कर	-
8	मुरलीगंज	हाँ	9300	अपडेट हो रहा है। 480 पूर्ण आवेदन रजिस्ट्रेशन हुआ है।	-
9	गवालपाड़ा	शुरु किया है	150	अपडेट	-
10	बिहारीगंज	हाँ	6950.4	मोबाईल गड़बड़ी के कारण अपडेट /डाउनलोड नहीं हुआ।	-
11	उदाकिशुनगंज	शुरु है	8670	अपडेट हो चुका है।	-
12	पुरैनी	शुरु है	8600	अपडेट हो रहा है।	-
13	चौसा	शुरु है	2200	अपडेट हो रहा है।	-
कुल योग -			107624.01		

यह भी निदेश दिया गया कि दिनांक 07-02-2017 को आयोजित कृषि टास्क फोर्स की बैठक में सभी प्रखण्ड सहकारिता पदाधिकारी एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी अद्यतन प्रतिवेदन के साथ ससमय उपस्थित रहना सुनिश्चित करेंगे।

अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा एवं उदाकिशुनगंज से अनुरोध किया गया कि सभी गोदामों के भंडारण की जांच हेतु अपने स्तर से अनुमण्डलवार आदेश निर्गत करें तथा किसी भी पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति करें। यह भी निदेश दिया गया कि उक्त गोदाम में अनाज सुव्यवस्थित ढंग से रखा जाए, इसे हरहाल में सुनिश्चित किया जाए।

(12) एस0एफ0सी0 :-

समीक्षा के क्रम में जिला प्रबंधक, एस0एफ0सी0, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि 1163 एस0आई0ओ0 का वितरण हो चुका है, शेष का वितरण हो रहा है, जबकि अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि परिवहन हथालन अभिकर्ता द्वारा सूचना दिया गया था कि वितरण का कार्य दिनांक 08-02-2017 तक पूर्ण होगा। निदेश दिया गया कि ससमय वितरण करावें। यह भी बताया गया कि सभी ट्रेक्टरों में जी0पी0एस0 सिस्टम लागू है। जिलाधिकारी द्वारा सख्त निदेश दिया गया कि वैसे ट्रेक्टर जिसमें जी0पी0एस0 सिस्टम नहीं लगा हो, उससे अनाज नहीं भेजवाया जाए।

(13) जी0ई0ओ0 टैगिंग (मनरेगा) :-

समीक्षा के क्रम में उप विकास आयुक्त, मधेपुरा से अनुरोध किया गया कि जी0ई0ओ0 टैगिंग हेतु अविलम्ब नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई करें तथा संबंधित कर्मियों को अपने स्तर से निदेशित करें।

(14) कल्याण :-

बैठक में जिला कल्याण पदाधिकारी, मधेपुरा की खोज की गयी, तो पता चला कि वे अनुपस्थित हैं, जबकि इसकी कोई सूचना नहीं दी गयी तथा बैठक से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाये गये, जबकि उनके जगह अन्य प्रतिनिधि को बैठक में भाग लेने हेतु न ही प्रतिनियुक्त किया गया। प्रभारी पदाधिकारी, गोपनीय शाखा, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि अनुपस्थिति के लिए स्पष्टीकरण पूछा जाए।

(15) अल्पसंख्यक कल्याण :-

जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि ऋण वितरण संबंधी मामलों का नियमानुसार निष्पादन करें तथा अनुपालन से अवगत करावें।

(16) स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन :-

कार्यपालक अभियंत्रता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रता संगठन कार्य प्रमण्डल, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि प्रत्येक सोमवारीय बैठक में कब्रिस्तान घेराबंदी /मंदिर की चहारदिवारी की घेराबंदी संबंधी प्रतिवेदन समर्पित करेंगे। इस हेतु प्रपत्र तैयार कर उपलब्ध कराने का निदेश जिला योजना पदाधिकारी, मधेपुरा को दिया गया।

(17) सामाजिक सुरक्षा कोषांग :-

सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि पेंशन वितरण हेतु नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।

(18) श्रम संसाधन :-

श्रम संसाधन की समीक्षा के क्रम में श्रम अधीक्षक, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि नियमित रूप से दुकानों का निबंधन करें। इस हेतु संबंधित प्रखण्ड में कैम्प आयोजन करें, जिसमें (कम्प्युटर /इंटरनेट सहित) सड़क के किनारे स्थित दूकानों का स्पॉट ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन के लिए आदेश निर्गत करें।

यह भी निदेश दिया गया कि ईट भट्टों की जांच करें तथा अनुपालन से अवगत करावें। सभी अंचलाधिकारी को निदेश दिया गया कि ईट भट्टों की जांच करें तथा वहां पर संधारित सभी प्रकार के पंजी यथा- कर्मी पंजी, वेतन भुगतान पंजी, दर तालिका आदि पंजी की जांच करें एवं प्रत्येक सोमवारीय बैठक में अनुपालन से अवगत करावें।

(19) आई0सी0डी0एस0 :-

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि जहां किसी कारणवश आंगनवाड़ी सेविका /सहायिका की बहाली का आम सभा नहीं हो पाया था, पुनः तिथि निर्धारण करने संबंधी आदेश पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। निदेश दिया गया कि शीघ्र ही इसका अनुपालन कराते हुए संबंधित प्रखण्ड के नोडल पदाधिकारी /प्रखण्ड विकास पदाधिकारी /अंचलाधिकारी /बाल विकास परियोजना पदाधिकारी /थानाध्यक्षों अथवा समक्ष पदाधिकारी की अध्यक्षता में आम सभा कराने हेतु अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित करें। विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न नहीं हो, इसे हरहाल में सुनिश्चित करें।

(20) विद्युत :-

समीक्षा के क्रम में बताया गया कि विद्युत विभाग अन्तर्गत ऑन स्पॉट बिलिंग का मशीन आ चुका है। निदेश दिया गया कि इसकी अलग से विस्तार से समीक्षा की जाएगी।

(21) आवंटन :-

जिलाधिकारी द्वारा कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा विभिन्न निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के यहां लंबित राशि से संबंधित उपलब्ध कराये गये आवंटन विवरणी की विस्तार से समीक्षा की गयी, स्थिति निम्नवत् पायी गयी :-

Sl. No.	D.D.O Name	Balance
1.	Project Exe. Officer, Kumarkhand	644311
2.	SDO Agriculture, Madhepura	4043209
3.	Dist. Agr. Officer, Madhepura	83270980

4.	Project Exe. Officer, Murliganj	789618
5.	Project Officer, Singheshwar	898603
6.	Astt. Dir. Horticulture Dist. Hort. Off. Madhepura	875930
7.	Dist. Animal Hus. Officer, Madhepura	4870646
8.	District Fishries Officer, Madhepura	2092105
9.	Exe. Eng. Building Officer, Madhepura	5089128
10.	Dst. NDC, Madhepura	9066889
11.	Deputy Election Officer, Madhepura	792057
12.	Dist. Gen. Provident Fund Officer, Madhepura	1132270
13.	DM, Madhepura	1414839
14.	Treasury Officer, Madhepura	1005433
15.	President Dist. Consumer Forum, Madhepura	705080
16.	I/C. M.O, Singheshwar	10930548
17.	I/C Medical Officer, Ghailardh	5821665
18.	M.O. PHC Kumarkhand	5535780
19.	Principal Govt. Medical College, Madhepura	37233711
20.	Dist. Indigenous M.O. Madhepura	2609592
21.	PHC, Murliganj	7389167
22.	M.O.I.C Sadar Block, Madhepura	5309282
23.	A.C.M.O. Madhepura	15107309
24.	M.O. PHC Gamharia	8192447
25.	CS, Madhepura	20418284
26.	M.O.I.C PHC Singheshwar	10620502
27.	Suptd. cum CS. sadar Hospital, Madhepura	17963266
28.	S.P. Madhepura	101885759
29.	Supt. Mandal Kara, Madhepura	8970485
30.	Principal Prob. Officer, Madhepura	811453
31.	SDO, Madhepura	5803334
32.	Dist. Comm. H/G	15718013
33.	DPO (Est)	96042762
34.	DIC, Madhepura	793964
35.	Dist. Public Relation Officer, Madhepura	580700
36.	Principal I.T.I, Madhepura	656365
37.	Labour Suptd. Madhepura	504331
38.	Exe. ER. Minor Irrigation Div. Madhepura	3850197
39.	Dist. Minorities Welfare Officer, Madhepura	748666

इसके अतिरिक्त अन्य विभिन्न पदाधिकारियों के यहां निकासी हेतु पर्याप्त मात्रा में राशि अवशेष पायी गयी। संबंधित पदाधिकारियों को अनुरोध किया गया कि अविलम्ब नियमानुसार राशि की निकासी की जाए। यदि राशि निकासी योग्य नहीं है, तो नियमानुसार प्रत्यार्पण करना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि आगामी सोमवारीय बैठक में इसकी पुनः समीक्षा की जाएगी कि उक्त पदाधिकारियों द्वारा इसका अनुपालन किया गया है अथवा नहीं।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।


निजी सहायक,

जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा।


प्रभासी पदाधिकारी

जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा।


जिलाधिकारी
मधेपुरा।

ज्ञापंक.....290...../गो०, मधेपुरा, दिनांक.....06/02/2017

प्रतिलिपि : अपर समाहर्ता, मधेपुरा /उप विकास आयुक्त, मधेपुरा /सिविल सर्जन, मधेपुरा/ जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा /डी०पी०एम०, जीविका, मधेपुरा /जिला शिक्षा पदाधिकारी /जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्वशिक्षा अभियान, मधेपुरा /जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला कल्याण पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला योजना पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला परिवहन पदाधिकारी, मधेपुरा /सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मधेपुरा /श्रम अधीक्षक, मधेपुरा /डी०आई०ओ०, मधेपुरा /सहायक नियंत्रक, माप एवं तौल, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज /जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई०सी०डी०एस०, मधेपुरा /जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, एम०डी०एम०, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमण्डल, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन प्रमण्डल, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, इडा, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, मधेपुरा /जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, एन०एच० प्रमण्डल, मधेपुरा /प्रभारी पदाधिकारी, विधि शाखा, मधेपुरा /कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मधेपुरा /नगर पंचायत, मुस्लीगंज /जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, मुस्लीगंज /त्रिवेणीगंज /राघोपुर एवं लघु जल संसाधन, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमण्डल, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज /कार्यपालक अभियंता, पुल निर्माण निगम, मधेपुरा /सहरसा /जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला स्थापना उप समाहर्ता, मधेपुरा /आई०टी० मैनेजर, मधेपुरा /सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निजी सहायक,

जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा।


प्रभारी पदाधिकारी

जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा।


जिलाधिकारी
मधेपुरा।